

पत्रांक- 126/मुरादाबाद/23468/2017, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 18, 2017 Date-20/7/17

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ मार्ग (NH-24) किमी 163 से 164 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम-मुस्तफाबाद के खसरा सं०-198/03 में सिटी एनर्जी लि०, मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-3802/14-1, दिनांक 30.06.2017

इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक-47/गाइडलाइन, दि० 07.07.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं तथा कतिपय सूचनायें प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

- 1- प्रस्तावित स्थल को पूर्ण टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।
- 2- प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वनभूमि की श्रेणी अंकित नहीं की गयी है।
- 3- प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की गणना में क्षेत्रफल 0.100868 हे० है, किन्तु प्रस्ताव 0.1008 हे० संरक्षित वनभूमि का प्रस्तुत किया गया है, जो सुसंगत नहीं है।
- 4- प्रस्ताव के साथ संलग्न उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति का प्रथम पृष्ठ सत्यापित नहीं है।
- 5- क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित स्थल को फुल टोपोशीट पर चिन्हित कर संलग्न नहीं किया गया है।
- 6- लो०नि०वि० के अनापत्ति का पृथम पृष्ठ सत्यापित नहीं है।
- 7- वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र में क्षेत्रफल के साथ वनभूमि की श्रेणी अंकित नहीं है।
- 8- प्रस्तावित वनभूमि के डिजिटल मैप में समस्त Key Points के अक्षोष व देशान्तर अंकित नहीं हैं।
- 9- ऑनलाइन एवं आफलाइन पार्ट-1 में अंकित परियोजना की लागत एवं सृजित होने वाले रोजगार की संख्या भिन्न-2 है। आफलाइन पार्ट-1 को प्रस्ताव से पृथक कर दें। इसकी आवश्यकता नहीं है।
- 10- प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-50 पर संलग्न उपयुक्तता प्रमाण-पत्र औचित्यपूर्ण नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कर दें।
- 11- उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर पृष्ठ संख्या अंकित करें एवं तदनुसार विषय-सूची को संशोधित करें।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि० 23.06.17 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, अलीगढ़ को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/11/17
कृ० आ० ला० के०
ब० सं०

451
20/7/2017
141

भवदीय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 126 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा, उप महाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि०, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुरादाबाद

Send by Email

पत्रांक, 451 / 14-1 दिनांक 20/07/2017

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर सांख्यिकीय अधिकारी
कार्यालय

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
म०वा० मुरादाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश